संख्या–1677 / 9–आ–4–2001–603एन / 2000

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश
3. उपाध्यक्ष,
   लखनऊ विकास प्राधिकरण,
   लखनऊ

आवास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनाँक : 11 जून, 2001

विषय : आवेदन पत्र निरस्त होने पर नजूल फ्रीहोल्ड हेतु जमा स्वमूल्यांकन की 25 प्रतिशत धनराशि वापस किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों से प्राप्त धनराशि वापसी के प्रस्तावों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया है कि अधिकांश जनपदों से धनराशि वापसी के मामलों में सम्पूर्ण सूचना सहित प्रस्ताव शासन का उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में धनराशि वापसी के जो भी प्रस्ताव शासन को भेजे जाये वह संलग्न प्रारूप–1 की सूचना के साथ, प्रत्येक प्रकरण के लिये अलग–अलग भेजे जाये।

3. मुझे आपसे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिन मामलों में शासन द्वारा नजूल फ्रीहोल्ड आवेदन राशि आदि की वापसी की स्वीकृति प्रदान कर दी जाय, ऐसे मामलों में जनपद स्तर पर आवेदक को धनराशि वापसी के पूर्व भी संलग्न किये जा रहे प्रारूप– प्प की सूचना की पृष्टि सभी मामलों में करने के उपरान्त ही धनराशि वापसी की कार्यवाही की जाय तथा प्रारूप– II पर नजूल फ्रीहोल्ड हेतु जनपद के नोडल अधिकारी द्वारा पुष्टि स्वरूप हस्ताक्षरित कर सम्बन्धित पत्रावली पर रखा जाय।

भवदीय,

जावेद एहतेशाम
उप सचिव

अभ्युक्ति

(प्रारूप–I)

1. नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड से सम्बन्धित निरस्त किये गये प्रार्थना पत्रों के सापेक्ष वापस की जाने वाली धनराशि का विवरण पत्र
2. वापस की जाने वाली धनराशि
3. आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का आधार तथा दिनांक
4. फ्रीहोल्ड हेतु आवेदन किस रूप में प्रस्तुत किया गया तथा पट्टेदार/नामित व्यक्ति/अवैध कब्जेदार आदि
5. यदि डिमाण्ड नोट निर्गत किया गया है और उसके सापेक्ष यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उसका विवरण
6. आवेदन पत्र के साथ 25 प्रतिशत जमा की गयी धनराशि का विवरण/ट्रेजरी चालान संख्या व दिनांक
7. फ्रीहोल्ड हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक तथा भूमि संख्या व क्षेत्रफल

आवेदक का नाम/पता ....

क्रम सं0 ....

प्रारूप–II

धनराशि वापसी हेतु निर्धारित प्रारूप

——————————————————

1– आवेदक का नाम एवं पता–

2– भूखण्ड का विवरण जिस हेतु धनराशि जमा की गयी है –

3– जमा धनराशि का विवरण यथा ट्रेजरी चालान संख्या एवं तिथि –

4– धनराशि वापसी का कारण –

5– धनराशि वापसी के आदेश का विवरण–

6– प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... पुत्र श्री .... द्वारा ट्रेजरी चालान संख्या .... दिनांक .... द्वारा जमा की गयी धनराशि का कोषागार से मिलान कर लिया गया/संतुष्टि कर ली गयी है कि उक्त धनराशि आवेदक द्वारा कोषागार में जमा की गयी थी जिसे दिनांक .... में प्राप्त स्वीकृति के क्रम में एतद्द्वारा रूपया .... वापस किया जाता है।

दिनांक ....

हस्ताक्षर ....

अधिकारी का नाम ....

पद नाम ....

प्राप्तकर्ता/आवेदक का नाम ....

एवं हस्ताक्षर ....

महत्वपूर्ण प्राथमिकता

अर्द्ध शा0पा0सं0 1955/9—आ—4—2001

प्रमुख सचिव,

आवास विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन,

लखनऊ—226001

आवास अनुभाग — 4

लखनऊ : दिनाँक : 13 जुलाई 2001

अतुल कुमार गुप्ता,

आई0प0एस0,